168/2007

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

अपील संख्या–167 / 2007

मन्दिर श्री सीताराम जी वाके ग्राम मण्ढोली जरिये पुजारी पूरणमल पुत्र श्री बिहारीलाल जाति शर्मा ब्राहमण निवासी मण्ढोली तहसील नीमकाथना जिला सीकर ।

–अपीलांट–

–बनाम–

1. रामकुंवार पुत्र चन्दाराम
2. भगवाना पुत्र चन्द्राराम
3. हणमान पुत्र चन्द्राराम
4. प्रभु पुत्र चन्द्राराम
5. छोटी बेवा गणपत
6. रूघवीर पुत्र गणपत
7. हरिराम पुत्र गणपत
8. जगदीश पुत्र गणपत
9. चिरंजी पुत्र गणपत
10. बंशी पुत्र गणपत

समस्त जाति अहीर निवासीगण मांकडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

–रेस्पोडेन्टस–

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21–9–2007 द्वारा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना

उपस्थिति–

1. श्री–मदनलालशर्मा एडवोकेट– अपीलांट
2. श्री अमरसिंह सुण्डा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 14.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं. 1824 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नं. 1826 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नं. 1828 रकबा–0.43 हैक्टर, खसरा

नं. 1829 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नं. 1947 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नं. 1948 रकबा 1.23 हैक्टर, खसरा नं. 1952 रकबा 0.09, खसरा नं. 1953 रकबा–0.02 हैक्टर, खसरा नं. 1954 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 1959 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नं. 1957 रकबा 0. 62 हैक्टर कुल किता–11 कुल रकबा 6.02 हैक्टर ग्राम मण्ढोली की खातेदारी प्रार्थी मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम है। प्रार्थी का मन्दिर प्राचीन काल से बना हुआ है। इस मन्दिर की सेवा पूजा श्री रामेश्वरदास जी करते थे। उक्त आराजी की काश्त से मन्दिर की सेवा पूजा व प्रसाद किया जाता रहा है। उक्त आराजी में से खसरा नं. 1824 रकबा 0.09 हैक्टर एंव खसरा नं. 1959 रकबा 1.53 हैक्टर कुल 1.62 हैक्टर प्रार्थी के पुजारी ने अप्रार्थी सं0– 1 से 4 व पति अप्रार्थीया–5 तथा पिता अप्रार्थी सं0–6 से 10 को 1/2 हिस्सा उपज की बंटाई पर काश्त हेतु दी थी। किन्तु इन्होने राजस्व अधिकारियो से साज कर इस आराजी की खातेदारी अपने नाम करवा ली, जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थी के पुजारी ने राजस्व अधिकारियो एवं देवस्थान विभाग को सूचना दी गई। जिस पर नामान्तरकरण सं0– 529 व 883 को निरस्त कर उक्त आराजी को प्रार्थी के नाम किये जाने के लियं रेफरेन्स की कार्यवाही की गई। जिस पर उक्त आराजी को प्रार्थी मूर्ति मन्दिर के नाम किये जाने का आदेश दिनांक 07.02.1984 को निर्णय पारित किया। जिसके लिये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 10.10.1988 को पारित किया गया। जिसके आधार पर खसरा नं. 1884 व 1959 की खातेदारी प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण सं0–1406 के द्वारा प्रार्थी के नाम दर्ज की गई। प्रार्थी के पुजारी रामेश्वरदास की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थी की सेवा पूजा पुजारी पूरणमल शर्मा करता है। अप्रार्थी अपराधिक प्रवति के हैं जो प्रार्थी की उक्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। तथा उक्त आराजी की आधी उपज भी प्रार्थी को नहीं दे रहें है तथा इन्होने साफ मना कर दिया। जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र अदालत मातहत पेश किया गया। जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण का काउण्टर टी0आई0 प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अपीलांट विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। कानूनन रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना आदेश पारित किया है। मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है और शाश्वत नाबालिग की आराजी की काश्त किसी दूसरे काश्तकार द्वारा की जाती है तो वह काश्त मूर्ति मन्दिर अर्थात शाश्वत नाबालिग द्वारा ही काश्त किया जाना माना जावेगा। ऐसी स्थिति में मूर्ति मन्दिर की आराजी पर यदि किसी का अवैध कब्जा है तो ऐसे कब्जाधारी को कभी भी बेदखल किया जा सकता है। मूर्ति मन्दिर की आराजी पर अवैध कब्जाधारी व्यक्ति को अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट का काउण्टर टी0आई0 कानूनन पोषणीय नहीं है। अदालत मातहत में इस कानूनी बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है। आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत ने अस्थई निशाधाज्ञा के तीनो बिन्दूओं पर कोई गौर न कर अपना आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट को काउण्टर टी0आई0 प्रस्तुत करने का वाद कारण कब पैदा हुआ तथा कैसे पैदा हुआ दर्ज नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वाद कारण दर्ज नहीं किया है ।माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने रेफरेंस के द्वारा दिनांक 10.10.1988 के द्वारा नामान्तरकरण सं–529 व 883 को अवैधानिक कर विवादित आराजी को पुन वादी के नाम किये जाने का आदेश पारित किया है। जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण सं0–1406 अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किया जाकर खतेदारी अपीलान्ट के नाम की गई। अपीलान्ट विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से रेस्पोडेन्ट का प्रथम द्रष्टया मामला नहीं है। अदालत मातहत ने इन तथ्यो पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय रेस्पोडेन्ट के काउण्टर टी0आई0 का आवेदन स्वीकार कर अपीलान्ट को तादौराने दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द करने की सीमा तक निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस जलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगणों की सुनी गई। अभिभाषकगणो ने इस अपील के साथ ही अपील सं0–168/2007 की बहस भी सुने जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी अपीलान्ट मर्ति मन्दिर श्री सीताराम जी की खातेदारी की भूमि है। जिससे प्रथम दष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट के पक्ष में है

तथा अपीलान्ट जो शाश्वत नाबालिग है जिसको उसकी खातेदारी आराजी से पाबन्द किया जाता है जो अपूर्ति क्षति भी अपीलान्ट को ही है अदालत मातहत ने इन तीनो बिन्दूओं पर कोई गौर न कर अपना आदेश पारित किया है। अदालत मातहत का यह आदेश कानून के विपरित है। अपीलान्ट शाश्वत नाबालिग एक रेकरर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निशेधाझा जारी नहीं की जा सकती अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट का काउण्टर टी0आई0 स्वीकार कर एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निशेधाझा से पाबन्ध करने में कानूनी भूल की है । अत अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय में रेस्पोडेन्ट की काउण्टर टी0आई0 को खारिज कर अपीलान्ट को तादौराने दावा अस्थाई निश्रोधाझा से प्रतिबन्धित किया गया आदेश निरस्त किया जावे । तथा आराजी ख0नं01824 व 1959 पर रिसीवर नियुक्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित उवं विधिक है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षे की आवश्यकता नहीं है विवादित आराजी पर हम पूर्वजों के समय से काबिज काश्तकार चले आ रहे है। विवादित आराजी पर हमारे पुख्ता मकान बने हुये है जिसमें हम आबाद है। मौके पर हमारा कब्जा काश्त होने से प्रथम दश्टया मामला रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है। कब्जा काश्त होने से हमें पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपीलान्ट को हमारे कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नही करने के लिये पाबन्द किया है। इस आदेश से अपीलान्ट को किसी प्रकार की क्षति नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि विवादित आराजी ख0नं0 1824 व 1959 को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में इस आराजी पर कोई खुर्द बुर्द होना नहीं बताया तथा प्रार्थना पत्र रिसवर खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है। अत अपीलांट की अपील को खारिज किया जावें।

बहस बगौर समाहत की गई पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल खतोनी एवं खसरा गिरदावरी सं0–2061 सें 2064 में विवादित आराजी अपीलान्ट मूर्ति मन्दिर सीतारामजी के नाम से दर्ज है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में काउण्टर टी0आई0 को स्वीकार कर एक रेकार्डेट खातेदार काश्तकार को अस्थाई निशेधाझा से पाबन्द करने में कानूनी भूल की है। मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है जिसकी आराजी की सुरक्षा की

जिम्मेदारी न्यायालय की भी है किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है। जिससे हम अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश में काउण्टर टी0आई0 के आदेश को निरस्त किया जाना उचित मानते है।साथ ही अदालत मातहत ने रिसीवर के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते है।

अत उपरोक्त विवेचन के परिप्रक्ष्य में अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 21.9.2007 में अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट का काउण्टर टी0आई0 स्वीकार किया जाने का आदेश निरस्त किया जाकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का काउण्टर टी0आई0 खारिज किया जाता है। तथा रिसीवर नियुक्त किया जाने के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है। उक्त निर्णय की प्रति अपील सं0–168/2007 में संलग्न की जावे। अपील सं0–168/2007 का निर्णय भी उक्तानुसार किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14-2-2018 को सुनाया गया ।

14/2/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर